

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

विद्युत टैरिफ याचिका वर्ष 2024-25 आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2015 एवं 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2024-25 के लिये टैरिफ याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे याचिका क्रमांक 09/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम टू-अप; वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनर्निर्धारण एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये विद्युत की फुटकर दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है, जिसका सारांश नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

क. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम टू-अप का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	टैरिफ आदेश दिनांक 13.04.2022 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	15280.55
02.	ऑडिटेड अकाउंट के आधार पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता	20734.58
03.	ऑडिटेड अकाउंट के अनुसार राजस्व वसूली	18946.18
04.	राजस्व आधिक्य / (कमी) (3-2)	(1788.41)
05.	वित्तीय वर्ष 2020-21 में CSPGCL, CSPTCL एवं CSLDC के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण सकल राजस्व अंतर	152.57
06.	वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम टू-अप के बाद पुनरीक्षण याचिका से संबंधित कैरिंग कास्ट सहित अंतर	1679.82
07.	वित्त वर्ष 2021-22 के अंतिम टू-अप के बाद पुनरीक्षण याचिका से संबंधित कैरिंग कास्ट सहित अतिरिक्त राजस्व अंतर	939.47
08.	वित्तीय वर्ष 2022-23 में CSPGCL, CSPTCL के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण सकल राजस्व अंतर	196.78
09.	जुलाई 2022 वीसीए का समायोजन (कैरिंग कास्ट सहित)	-45.72
10.	वर्ष 2022-23 हेतु Closing Surplus/(deficit) (4+5+6+7+8-9)	(4711.32)
11.	कैरिंग कास्ट	137.59
12.	वर्ष 2024-25 के लिये Forward की गई कुल Closing Surplus/(deficit)	(4848.91)

ख. वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (स्टैण्डएलोन) एवं सकल कमी का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान	17990.46
02.	प्रचलित दरों एवं प्रभारों के आधार पर अनुमानित राजस्व	21616.77
03.	अकेले वर्ष 2024-25 के लिये राजस्व आधिक्य / (कमी) (2-1)	3626.31
04.	वर्ष 2022-23 का Forward की गई कैरिंग कास्ट सहित कुल Closing	(4848.91)

	Surplus/(deficit)	
05.	सीएसपीडीसीएल के लिए विनियामक संपत्ति वर्ष 2023-24	(2924.53)
06.	वर्ष 2024-25 के लिये सकल आधिक्य / (कमी) (4+5-3)	(4147.13)
07.	वर्ष 2024-25 के लिये सकल आधिक्य / (कमी) (4+5-3)(कैरिंग कास्ट सहित)	(4420.35)

ग. वर्ष 2024-25 के लिये रिटैल टैरिफ प्रस्ताव

(i) छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. द्वारा संचयी वार्षिक राजस्व आवश्यकता मांग को प्राप्त करने के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु युक्तियुक्त टैरिफ निर्धारण हेतु माननीय नियामक आयोग से निवेदन करते हुए, घरेलू उपभोक्ताओं की टैरिफ में वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु, वर्ष 2024-25 के लिए ग्रीन ऊर्जा टैरिफ का प्रस्ताव किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्रीन ऊर्जा टैरिफ विकल्प लेने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत दर के रूप में संबंधित श्रेणी की सामान्य टैरिफ से रु.1.64 प्रति यूनिट अधिक रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही-2, एचव्ही-3 एवं एचव्ही-4 टैरिफ श्रेणी पर लागू "टाईम ऑफ डे" टैरिफ को सौर ऊर्जा उपलब्धता/अनुपलब्धता एवं उच्चतम मांग अवधि के आधार पर टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नलिखित है,—

क्र.	प्रस्तावित समयावधि	प्रयोज्य टैरिफ
01.	सामान्य अवधि (23:00 to 10:00 बजे)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर
02.	उच्चतम भार अवधि (16:00 to 23:00 बजे)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 120 प्रति त
03.	गैर-उच्चतम भार अवधि (10:00 to 16:00 बजे)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 80 प्रति त

(iv) ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 27.04.2023 के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के चार्जिंग केन्द्रों हेतु सौर एवं गैर-सौर समयावधि अनुसार पृथक विद्युत दरों का प्रस्ताव किया गया है, जो कि निम्नलिखित है,—

क्र.	प्रस्तावित उपयोग की अवधि	प्रयोज्य टैरिफ
01.	सौर अवधि के दौरान	औसत आपूर्ति की दर का 0.8 गुना
02.	गैर-सौर अवधि के दौरान	औसत आपूर्ति की दर का 1.2 गुना

(v) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही -1, रेलवे कर्षण टैरिफ के अंतर्गत, माह में 20 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर होने पर ऊर्जा प्रभार पर प्रदत्त 20 प्रतिशत की छूट के प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही-4, स्टील उद्योग श्रेणी, के अंतर्गत उपभोक्ताओं को मासिक लोड फैक्टर, 49.99 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होने पर ऊर्जा प्रभार पर 1 से 25 प्रतिशत छूट के प्रावधान को समाप्त

कर, मासिक लोड फैक्टर 65 प्रतिशत और उससे अधिक होने पर ऊर्जा प्रभार पर 5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।

(vii) दिनांक 22 अगस्त 2005 को राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा गठित “बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” एवं “सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” के अधीनस्थ क्षेत्र में स्थापित ऐसे उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ता, को ऊर्जा प्रभार पर प्रदत्त 5 प्रतिशत छूट को 150 एमवीए संबद्ध भार वाले उपभोक्ताओं तक सीमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं (ii) याचिकाकर्ता, कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊप्र) कार्यालय, डंगनिया, रायपुर सहित (iii) रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ के क्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं। याचिका अथवा सार संक्षेपिका को उक्त कार्यालयों से रु. 100/- अंग्रेजी प्रति हेतु तथा रु. 50/- हिन्दी प्रति के भुगतान पश्चात्, किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका/सारांश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिस हेतु रु. 50/- का अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा।

यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं (ii) CSPDCL की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने आपत्ति/सुझाव निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001 (E-mail: cserc.sec.cg@nic.in) एवं/या कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छ.स्टे. पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., डंगनिया, रायपुर, पिन-492013 (E-mail: cecomcseb@rediffmail.com) पते पर प्रेषित कर सकते हैं। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

ELECTRICITY TARIFF PETITION FOR FY 2024-25
NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS AND SUGGESTIONS

In compliance to the provisions contained in section 62 & 64 of Electricity Act, 2003 read together with Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Multi Year Tariff) Regulations 2015 and 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) has filed a petition for final true-up for FY 2022-23, re-determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2024-25 and projection of revenue at existing tariff and charges with revenue gap and determination of retail supply tariff for FY 2024-25 before the Hon'ble CSERC which is registered as Petition No. 09/2024. The summary of the petition is given below: -

A. Summary of final true-up of FY 2022-23

S.No.	Particulars	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR approved in Tariff Order dated 13.04.2022	15280.55
02.	ARR based on audited accounts	20734.58
03.	Revenue from sale of power as per audited accounts	18946.18
04.	Revenue Surplus/(Deficit) (3-2)	(1788.41)
05.	Net Revenue Gap carried forward from final true-up of FY 2020-21 in respect of CSPGCL, CSPTCL & CSLDC	152.57
06.	Revenue Gap with carrying cost of Review Petition after final true-up of FY 2020-21	1679.82
07.	Additional Revenue Gap with carrying cost of Review Petition after final true-up for FY 2021-22	939.47
08.	Net Revenue Gap carried forward from final true-up of FY 2022-23 in respect of CSPGCL, CSPTCL	196.78
09.	VCA adjustment for July 2022 (including carrying cost)	-45.72
10.	Closing Surplus/(Deficit) of FY 2022-23 (4+5+6+7+8-9)	(4711.32)
11.	Carrying Cost	137.59
12.	Total Closing Surplus/(Deficit) forwarded for FY 2024-25	(4848.91)

B. Summary of ARR for FY 2024-25 (Standalone) and net deficit for FY 2024-25

S.No.	Particular	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR projection for FY 2024-25	17990.46
02.	Projected Revenue on the basis of existing tariff	21616.77
03.	Standalone Revenue Surplus/(Deficit) for FY 2024-25 (2-1)	3626.31
04.	Total Closing Surplus/(Deficit) of FY 2022-23 carried forward with carrying cost.	(4848.91)
05.	Regulatory Assets of FY 2023-24 for CSPDCL	(2924.53)
06.	Net Surplus/(Deficit) for FY 2024-25 (4+5-3)	(4147.13)
07.	Net Surplus/(Deficit) for FY 2024-25 (4+5-3) (with carrying cost)	(4420.35)

C. Retail tariff proposal for FY 2024-25:

(i) CSPDCL has requested the Hon'ble Commission to adopt rationalized tariff across all category of consumers, in order to meet the cumulative ARR without changing the tariff of consumers under Domestic category.

(ii) In order to promote Green Energy, it is proposed to introduce Green Energy Tariff for FY 2024-25 with tariff of Rs. 1.64/unit, over and above the retail tariff of respective categories of consumers, who opt for this tariff category.

(iii) It is proposed to restructure prevailing ToD tariff for HV-2, HV-3 and HV-4 categories on the basis of availability of power during solar hours, non-solar hours and peak load period. In this context, CSPDCL has proposed following:

Sr. No.	Proposed time period	Applicable Tariff
01.	Normal Period (23:00 to 10:00 Hrs.)	Normal rate of energy charges
02.	Peak Load Period (16:00 to 23:00 Hrs.)	120% of normal rate of energy charge
03.	Off-Peak Load Period (10:00 to 16:00 Hrs.)	80% of normal rate of energy charges.

(iv) In line with Ministry of Power's guidelines dtd. 27.04.2023, a separate electricity tariff has been proposed for Electric Vehicle Charging Stations during solar or non-solar period.

Sr. No.	Proposed period of use	Applicable Tariff
01.	During Solar Hours	0.8 times of Average Cost of Supply (ACoS)
02.	During Non- Solar Hours	1.2 times of Average Cost of Supply (ACoS)

(v) It is proposed to withdraw presently applicable rebate of 20% on Energy Charge, to Railway Traction, if their load factor is 20% and above in the billing month.

(vi) It is proposed to withdraw currently prevailing load factor rebate of 1 to 25% on Energy Charge provided to HV-4 Steel Industries category consumers, if monthly load factor is over and above 49.99%. Further, it is proposed to provide load factor rebate of flat 5% on Energy Charge to this category of consumers, if monthly load factor is 65% and above, calculated on entire energy consumption.

(vii) It is proposed to provide rebate of 5% on Energy Charge provided to the High Voltage (HV) industries located at "Baster avem Dakshin Kshetra Adivasi Vikas

Pradhikaran” and “Sarguja avem Uttar Kshetra Adivasi Vikas Pradhikaran” (notified vide order dtd. August 22, 2005) for the connections having contract demand up to 150 MVA.

Copies of the tariff petition in English and its summary in Hindi, shall be made available at (i) Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, (ii) Executive Director (RA&PM) CSPDCL, Dangania Raipur and (iii) CSPDCL's Regional Offices at Raipur City, Raipur Rural, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon, Ambikapur & Raigarh Regions and the Circle offices of these Regions, during office hours till 21 days from the date of publication of this notice.

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for petition and Rs. 50/- for its summary in Hindi. Copy of the petition and its summary in hindi can also be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

The notice and petition along with subsequent submissions by CSPDCL will also be available on websites: www.cserc.gov.in and www.cspdcl.co.in.

Persons / institutions interested to file objections / suggestions relating to this petition may send the same within 21 days from the publication of this notice to Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin – 492001, cserc.sec.cg@nic.in and/or Executive Director (RA&PM), 4th Floor, Sewa Bhavan, CSPDCL, Raipur, Pin – 492013, cecomcseb@rediffmail.com. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

**EXECUTIVE DIRECTOR (R.A. & P.M.)
C.S.P.D.C.L. RAIPUR**